न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 11.12.2024

दावा संख्या 65/24

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

बलराम पुत्र ओंकार उम्र 61 वर्ष जाति बाढई निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 — वादी

बनाम

1–शिवजी पुत्र खच्चू जाति बाढई निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
2–राजू पुत्र खच्चू जाति बाढई निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
3–गुड्डी पुत्री खच्चू पत्नि नन्दकिशोर जाति बाढई निवासी बीलखेडामाल हाल निवासी टीला मोहल्ला नारानखेडा रोड समरानियां तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
4–चन्दा पुत्री खच्चू पत्नि स्व.सुमत जाति बाढई निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 हाल निवासी 28 नम्बर कोठी के पास गणेश कालोनी फतेहपुर रोड शिवपुरी म0प्र0
5–मानोबाई पत्नि खच्चू जाति बाढई निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
6–अरविन्द कुमार पुत्र हजारीलाल जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राज0 — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955

अंतिम निर्णय दिनांक 14.07.2025

उपस्थित
वादीगण की ओर से–श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1 ता 6 की ओर से – एकपक्षीय
प्रतिवादी कम 7 की ओर से – पेरोकार सरकार

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2025 से स्वीकार किया जाकर ग्राम बीलखेडामाल तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 303 रकबा 2.16 बीघा, ख0नं0 304 रकबा 1.19 बीघा, ख0नं0 321 रकबा 0.09 बीघा, ख0नं0 336 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 342 रकबा 0.02 बीघा, ख0नं0 525 रकबा 6.01 बीघा, ख0नं0 804 रकबा 4.08 बीघा तथा ख0नं0 808 रकबा 1.07 बीघा किता 8 कुल रकबा 17.05 बीघा में से वादी हिस्सा 1/2 [illegible] स्वीकार कर तहसीलदार शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश [illegible] प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 25.06.2025 को [illegible] द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे वादी [illegible] असहमति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन [illegible] निम्न प्रकार है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.08.19 11:35:13 IST
Reason: SelfAttested

14.07.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
1	बलराम वल्द ऊकार कोम बाढई सा0 देह	303	2.16 बीघा		
		304	1.19 बीघा		
		321	0.09 बीघा		
		525/1 पश्चिमी	2.15 बीघा		
		808 दक्षिणी	0.13 बीघा		

किता 5 कुल रकबा 8.12 बीघा

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
2	शिवजी राजू पुत्र गुड्डी चन्दा पुत्रियां मानोबाई बेवा खच्चू कोम बाढई सा0 देह	336	0.03 बीघा		
		342	0.02 बीघा		
		525	3.06 बीघा		
		804	4.08 बीघा		

किता 4 कुल रकबा 7.19 बीघा

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
3	राजू पुत्र खच्चू गुड्डी चन्दा पुत्रियां खच्चू कोम बाढई सा0 देह हि0 3/5 अरविन्द कुमार पुत्र हजारीलाल कोम किराड सा0 देवरी हि0 2/5	808 उत्तरी	0.14 बीघा		

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को वादी की हद तक स्वीकार किया जाकर ग्राम बीलखेडामाल तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 303 रकबा 2.16 बीघा, ख0नं0 304 रकबा 1.19 बीघा, ख0नं0 321 रकबा 0.09 बीघा, ख0नं0 336 रकबा 0.03 बीघा, ख0नं0 342 रकबा 0.02 बीघा, ख0नं0 525 रकबा 6.01 बीघा, ख0नं0 804 रकबा 4.08 बीघा तथा ख0नं0 808 रकबा 1.07 बीघा किता 8 कुल रकबा 17.05 बीघा में से वादी हिस्सा 1/2 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है। उपरोक्तानुसार वादी का खाता प्रथक से कायम कर तरमीम की जावे। वादी को विभाजित हिस्सा 1/2 पर बाद पैमायश दखल दिया जावे। प्रतिवादी 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के विभाजित हिस्सा कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। [illegible] तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.08.19 11:35:13 IST
Reason: SelfAttested

14.07.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद